प्रेस नोट संख्या- 16
दिनांक 07.04.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा 110 ग्राम मारफीन (अनुमानित कीमत 11 लाख रुपये) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.04.2025 को थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान कार सं0 यूपी 70 एएक्स 7323 में सवार अभियुक्त महेश गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा करनाई थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 38 वर्ष को लखनऊ सुलतानपुर हाइवे शारदा नहर पुल के पास से समय करीब 03.40 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। कार के कागज मांगने पर दिखा न सका। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम मारफीन बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- महेश गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा करनाई थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी

- कुल 110 ग्राम मारफीन (अनुमानित कीमत 11 लाख रुपये)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 85/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
- कार सं0 यूपी 70 एएक्स 7323 (धारा 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 जगदीश नारायण शर्मा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 हेमनारायण सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 सन्तोष कुमार थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. का0 अविनाश यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 145/04 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 924/15 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 308 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 376/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।